देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्ध्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/16 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 10 मार्च 2022

जेडीए प्रवर्तन द्वारा धारा 32,33 के नोटिस के बावजूद बदस्तूर जारी है अवैध निर्माण!!!

जेडीए के ज़ोन-5 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 5,अजमेरा गार्डन,जयपुर का है मामला!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है भूखंड संख्या 57,अजमेरा गार्डन,अजमेर रोड का मामला?

डी.बी. सिविल रिट याचिका 1550/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले मे पारित राज उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मास्टर प्लान/ज़ोनल प्लान मे जिस क्षेत्र को निर्धारित (यथा आवासीय /व्यवसायिक/ संस्थानिक/ अन्य) भू-उपयोग मे जिस क्षेत्र को निर्धारित किया गया है,उसी भू -उपयोग अनुसार उसकी अक्षरत: पालना की जाये/भवन विनियमों के विपरीत हो रहे अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत मे कंपाउंड नहीं किया जाकर,सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

डी.बी. सिविल रिट याचिका 1550/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले मे पारित राज उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मास्टर प्लान/ज़ोनल प्लान के विपरीत किए गए निर्माणों के विरुद्ध सील/ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करना जेडीए/निगम के अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होगी।परंतु राज उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद एवं भवन विनियमों के विपरीत,बिना सक्षम अनुमति के, जेडीए ज़ोन 5 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या आवासीय भूखंड 57, अजमेरा गार्डेन, लेन न. 2 अजमेर रोड पर बिना सक्षम स्वीकृति,बिना सेटबैक छोड़े बहुमंजिला आवासीय/व्यवसायिक निर्माण कार्य करवाया जा रहा है|

Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-III) , Enforcement Officer - 5	, , ,	Partially Special Closed	07-Mar-2022	प्राप्त प्रकरण में भूखंड संख्या ५७ में हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में धारा ३२ ३३ जविप्रा अधिनियम के नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

मामला संज्ञान मे आने के बाद जेडीए ने दिये नोटिस लेकिन नोटिसो के बावजूद निर्माण कार्य बदस्तूर जारी

हमारे द्वारा इस अवैध निर्माण का मामला जेडीए प्रवर्तन के संज्ञान मे लाया गया था,जिसपर कार्यवाही करते हुए जेडीए,प्रवर्तन द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को धारा 32,33 के नोटिस जारी किए गए थे|लेकिन इसके बावजूद वर्तमान मे इस भूखंड पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है|ऐसे मे सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या नोटिस देने से अवैध निर्माण रुकते है या फिर तीव्र गति से चालू रहते है?यदि यह निर्माण नियमानुसार है तो इसे नोटिस क्यूँ दिये गए और यदि अवैध है तो इसमे निर्माण जारी क्यूँ है?

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|